



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102020-222375
CG-DL-E-12102020-222375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3135]
No. 3135]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3547(अ)—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में नाभिकीय ईंधन और संघटक, भारी पानी और संबद्ध रसायन तथा आण्विक ऊर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले स्थापनों की सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 28 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1266(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2020, द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 24 अप्रैल, 2020 से छह मास की अवधि के लिए उक्त औद्योगिक स्थापनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया था;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित उक्त औद्योगिक स्थापनों को लोक उपयोगिता सेवा प्राप्ति की छह मास की और अवधि के लिए विस्तार करने की अपेक्षा करती है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त औद्योगिक स्थापनों में लगी हुई सेवाएं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा.सं. एस.-11017/3/97-आईआर(पीएल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th October, 2020

S.O. 3547(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and Components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy, which are covered under item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial establishments to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 24th April, 2020 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1266(E), dated the 17th April, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial establishments for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industrial establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 24th October, 2020.

[F. No. S-11017/3 /97- IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.